ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (ग्रामीण) की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.18

भाग–एक

1 (क) वर्तमान अंकेक्षण

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (ग्रामीण) हिमाचल प्रदेश की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 1.4.13 से 31.3.18 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Governance दिनांक 3.9.05 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 7.3.19 से दिनांक 21.4.19 के दौरान उप मण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में किया गया।

निधि लेखाओं की विस्तृत जॉच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2013–14	10/13	1/14
2014–15	3/15	12/14
2015–16	3/16	2/16
2016–17	5/16	12/16
2017–18	3/18	3/18

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गर्वनैन्स सोसाईटी एवं पंजीकरण लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन– संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की है जोकि चिन्ता का विषय है।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है।

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/05 से 3/13 तक

पैरा सं0	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	निर्णीत	
2	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत
3	अनिर्णीत	
4	अनिर्णीत	
5	अनिर्णीत	
6 (क, ख)	अनिर्णीत	
7 (क, ख)	अनिर्णीत	
8 (क, ख, ग, छ, ङ, च)	अनिर्णीत	
9	अनिर्णीत	
10	अनिर्णीत	
11	अनिर्णीत	
12 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
13	अनिर्णीत	
14	अनिर्णीत	
15	अनिर्णीत	
16	अनिर्णीत	
17	अनिर्णीत	
18 से 20	निर्णीत	

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपमण्डलाधिकारी एवं आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) के रूप में कार्यरत रहे:–

उपमण्डलाधिकारी एवं आर0एल0ए0 (ग्रामीण) शिमला	अवधि
श्री जी0सी0 नेगी (एच0ए0एस0)	10.01.13 से 21.06.17
श्री भूपिन्दर कुमार अत्री (एच0ए0एस0)	21.06.17 से 20.01.18
श्री अनिल शर्मा (एच0ए0एस0)	19.01.18 से लगातार

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही में गलत गणना के कारण अन्तशेष में अन्तर का पाया जाना	1.16
2	6	दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेष में अन्तर	0.23
3	9	उपयोक्ता प्रभार निधि से अनियमित व्यय	4.08

2 **अंकेक्षण शुल्क:–**

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) की अवधि 01.04.13 से 31.03.18 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹21000 ऑका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनॉक 8.05.19 द्वारा उपमण्डलीय अधिकारी शिमला (ग्रामीण) से अनुरोध किया गया।

3 **वित्तीय स्थिति**

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण शिमला (ग्रामीण) द्वारा प्रस्तुत आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.13 से 31.03.18 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के रूप में प्राप्त राशियों तथा व्यय की राशियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

4 **केन्द्रीय ईकाई शिमला (उपायुक्त कार्यालय) को ₹18.61 लाख का अनियमित भुगतान/हस्तांतरण**

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, शिमला (ग्रामीण) की अवधि 1.4.13 से 31.3.18 की उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय की जॉच में पाया गया कि उक्त अवधि में **परिशिष्ट "ख"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1860710 की राशि उपायुक्त कार्यालय की केन्द्रीय ईकाई को भुगतान/हस्तांतरित किया गया था जबकि परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 3.09.2005 में इस प्रकार के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं था। अतः इस अनियमित भुगतान/हस्तांतरण के बारे में स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि को केन्द्रीय ईकाई से वापिस प्राप्त करके ई–गर्वनैन्स सोसाईटी शिमला (ग्रामीण) के खाते में जमा की जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही

188

की जॉच में पाया गया कि उपयोक्ता प्रभार का 25% भाग जो परिवहन विभाग को भुगतान किया जाना अपेक्षित था रोकड बही दर्ज नहीं पाया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपयोक्ता प्रभार का 25% भाग जो परिवहन विभाग को भुगतान किया गया है अथवा नहीं जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। यदि नियमानुसार उपयोक्ता निधि का 25% भाग परिवहन विभाग को भुगतान किया गया है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

5 रोकड़ बही में गलत गणना के कारण ₹1.16 लाख का अन्तर

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, शिमला (ग्रामीण) की अवधि 1.4.13 से 31.3.18 की उपयोक्ता प्रभार निधियों की रोकड़ बही में योगों की जॉच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में आय और व्यय के योगों को ठीक नहीं लिया गया था जिसके फलस्वरूप रोकड बही में दिनांक 31.03.18 को ₹116372.50 का अन्तर पाया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है। इस त्रुटि को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 23.03.19 द्वारा उपमण्डलीय अधिकारी शिमला (ग्रामीण) के ध्यान में लाया गया था और इस त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित कार्यालय से इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण शिमला (ग्रामीण) इस सन्दर्भ में अभिलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करके रोकड़ बही के योगों को ठीक करके वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माह	रोकड़ बही में जितना योग आना था	रोकड़ बही में जितना शेष लिया	अन्तर	टिप्पणी
27.5.15	593531.49	593511.49	20.00	रोकड बही के योग में ₹20 अधिक लिए
9.10.17	891653.50	897092.00	5438.50	रोकड़ बही के योग में 5438.50 कम लिए
4.01.18	949991.00	1071762.00	121791.00	दिनांक 4.01.18 को व्यय के योग में ₹121791 अधिक लिये

(139)

6 रोकड़ बही व बैंक के अन्तशेष में दिनांक 31.3.2018 को ₹0.23 लाख का अन्तर

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष ₹511964.99 था जबकि बैंक खाते का अन्तशेष ₹488467 था। इस प्रकार दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹23498 का अन्तर था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 23.03.19 द्वारा यह प्रकरण उपमण्डलीय अधिकारी शिमला (ग्रामीण) के ध्यान में लाया गया था और इस त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित कार्यालय से इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) इस सन्दर्भ में अभिलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करके इस अन्तर का समाधान करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 नियमानुसार Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याटी0पी0टी0एफ (1)3/2000–ई–गर्वनैन्स दिनांक 3.9.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income and Expenditure Statement तथा Balance sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी जबकि सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण अवधि की न तो Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गई। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 द्वारा उपमण्डलाधिकारी, शिमला (ग्रामीण) को अवगत करवाया था परन्तु अभी तक सोसाईटी द्वारा वर्ष के अन्त में न तो Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गई। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। अतः नियमों की अनुपालना करते हुए उक्त निधि की प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जाये तदानुसार अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

8 ई–गर्वनैन्स सोसाईटी की उपयोक्ता प्रभार निधि से अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल फोन चार्जिज के प्रतिपूर्ति हेतु अनुचित भुगतान करना

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गर्वनैन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई शिमला जिला शिमला के सदस्य सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या SML-NZ-EGSS-2006-

(148)

155-57 दिनांक 12.10.07 के अनुसार उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निम्नलिखित दर से प्रतिमाह के लिए मोबाईल बिल की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान करने के आदेश पारित किये:–

उपमण्डलाधिकारी	₹500 प्रतिमाह
तहसीलदार व नायब तहसीलदार	₹300 प्रतिमाह
चालकों	₹200 प्रतिमाह

उक्त भत्ते/मानदेय का भुगतान जिन नियमों के अन्तर्गत किया गया उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके साथ–2 हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ–(1) 3/2000 ई–गर्वनैन्स दिनॉक 3.9.05 के अन्तर्गत भी इस प्रकार का भुगतान करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अतः सोसाईटी द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय में से किये गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए जिन नियमों के अन्तर्गत यह भुगतान किया गया उन नियमों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इस प्रकार के अनियमित भुगतान की अविलम्ब वसूली करके सोसाईटी की निधि में जमा की जाये।

9 उपयोक्ता प्रभार निधि से ₹4.07 लाख का अनियमित व्यय

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गर्वनैन्स सोसाईटी ने उपयोक्ता प्रभार निधि से **परिशिष्ट "ग"** में दिए गए विवरणानुसार ₹407505 व्यय किये गए जोकि इस निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता जोकि एक गम्भीर प्रकरण है। यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3 दिनांक 18.04.19 द्वारा उपमण्डलीय अधिकारी शिमला (ग्रामीण) के ध्यान में लाया गया था और इस प्रकार के व्यय के बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित कार्यालय से इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैन्सिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) इस सन्दर्भ में अभिलम्ब अपेक्षित कार्यवाही करके इस प्रकार के किये व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर इसे नियमित करवाया जाये अन्यथा इस व्यय की उचित स्त्रोत से भरपाई करके निधि मे जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

0 केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त स्टोर/स्टॉक का लेखांकन न करने बारे

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त सामग्री/उपकरणों के रख–रखाव के लिए स्टोर/स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाये गये है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त होने वाले उपकरणों व अन्य सामग्री के रख–रखाव के लिए अलग–2 रजिस्टर लगाये जाएं तथा प्रत्येक मद का पूर्ण विवरण मदवार अलग–2 पृष्ठों पर देकर स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की जाए। इसके अतिरिक्त प्राप्त उपकरणों एवं स्टॉक की सामग्री को जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को जारी किया गया है उनका नाम, शाखा का नाम तथा तिथिवार ब्यौरा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर सहित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि प्राप्त की गई सामग्री तथा उसके उपयोग की ठीक ढंग से जॉंच की जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 ई–गर्वनैन्स सोसाईटी शिमला (ग्रामीण) द्वारा क्रय की गई तथा सुगम केन्द्र को जारी की गई सामग्री पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधियों से समय–2 पर कार्यालय तथा सुगम केन्द्र में उपयोग होने वाली स्टेशनरी की खरीद की गई थी। अंकेक्षण के दौरान टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि क्रय की गई स्टेशनरी की प्रविष्टि तो स्टॉक रजिस्टर में की गई है परन्तु उसे सीधा सुगम केन्द्र को जारी किया गया दर्शाया गया है जबकि यह स्टेशनरी जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को सुगम केन्द्र में जारी की गई उसका नाम/विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया जाना अपेक्षित था तथा उनसे पावती भी प्राप्त करनी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी का कितनी–2 मात्रा में कौन–2 सी तिथियों में जारी की गई भी स्पष्ट नहीं किया गया था जोकि एक अनियमित है। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्टेशनरी को जारी की गई उस अधिकारी/कर्मचारी का विवरण देकर पावती भी प्राप्त की जाए व इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 प्रिंटर के काटरेज की खरीद एवं कार्टरिज भरवाने के लिये किये गये व्यय के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा कम्पयूटर के प्रिंटर के लिये समय–2 पर Cartridges की खरीद करने पर तथा Cartridges को भरवाने (Refill) के लिए व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित Maintenance Register का रख–रखाव नहीं किया गया था

(142)

जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सोसाईटी में स्थापित कौन–2 से कम्पयूटर के प्रिंटर को Refill करवाया गया था और कौन–2 से कम्पयूटर के प्रिंटर के लिये नये Cartridges का क्रय किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सोसाईटी में स्थापित कम्पयूटर के पिंटर के Cartridges की refill या नये Cartridges की खरीद से सम्बन्धित Maintenance Register का रख–रखाव किया जाये तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 ई–गर्वनैन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गये कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियां न करने के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गर्वनैन्स सोसाईटी द्वारा कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पत्ति रजिस्टर में प्रतिष्टियाँ नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई–गर्वनैन्स निधि से जितनी भी स्थाई तथा अन्य कीमती सामग्री खरीदी गई है उन सबको सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर दर्ज किया जाए तथा जिन–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित उपकरण जारी किए गए है उनसे प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने बारे

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) द्वारा खरीदी गई या केन्द्रीय ईकाई शिमला से प्राप्त सामग्री/उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) नहीं करवाया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 अभिलेखों को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करना

ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण, शिमला (ग्रामीण) से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 23.03.19 द्वारा चयनित माह के अभिलेखों को जॉच हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया था और इस सन्दर्भ में बार–बार अंकेक्षण के दौरान मौखिक तौर पर उच्च अधिकारी को भी कहा गया परन्तु ई–गर्वनैन्स सोसाईटी शिमला (ग्रामीण) पूर्ण रूप से अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। जिन अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया उसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

(143)

1 प्राप्त उपयोक्ता प्रभार निधियों के अभिलेख माह 10/2013, 3/2015 व 3/2016

2 व्यय वाउचर एवं सम्बन्धित अभिलेख 01/2014, 12/2014 व 12/2016

16 **लघु आपत्ति विवरणिका:–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

17 **निष्कर्ष:–** निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

05 OCT 2019

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

6548-6551

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (2) सी (15)(14) (xii) 14/14 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 सरकार शिमला–02
2. निदेशक, परिवहन विभाग हि0प्र0 शिमला–03
3. जिलाधीश जिला शिमला, हि0प्र0–171001
4. पंजीकृत — उप–मण्डल अधिकारी एवं आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

05 OCT 2019

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

५।२।२०१८ - के

144

पैरा- 3 के संदर्भ में

FINANCIAL POSTION OF E-GOVERENCE FUND UNDER SDM(R) SHIMLA FOR THE PERIOD 1/04/13 TO 31/03/18

	O.B	INCOME	INT.	TOTAL	EXP.	C.B.
2013-14	102424.49	756192.00	4054.00	862670.49	468391.00	394279.49
2014-15	394279.49	608336.00	17743.00	1020358.49	560226.00	460132.49
2015-16	460132.49	1651580.00	0.00	2111712.49	1336304.00	775408.49
2016-17	775408.49	1365613.00	13632.00	2154653.49	1440041.50	714611.99
2017-18	714611.99	1214513.00	16128.00	1945252.99	1433288.00	511964.99

Asstt. Controller (Audit)
H.P. Local Audit Deptt.
Shimla-9 (H.P.)

परिशिष्ट-(ख) पैरा संख्या: 4 के सदर्भ में

(145)

EARWISE STATEMENT OF USER CHARGES TRANSFER TO TRANSFER BY SDM (C) SHIMLA TRANSFER TO DC SHIMLA FOR THE PERIOD4/13 TO 3/18			
YEAR	75 % AMOUNT OF USER CHARGES UNDER RLA	AMOUNT OF USER CHARGES TRANFER TO DC SHIMLA	DETAIL OF CH.NO. AND DATE
2013-14	756192	0	
2014-15	608336	21549	CH. NO. 265202 DT. 05/03/15
2015-16	1651580	173923	CH. NO.265216 DT. 13/07/15
		46855	CH. NO. 265221 DT.28/08/15
2016-17	1365613	865303	CH. NO. 093607 DT. 5/12/16
2017-18	1214513	753080	CH. NO.093131 DT.17/03/18
TOTAL		1860710	

Asstt. Controller (Audit)
H.P. Local Audit deptt.
Shimla (H.P.)

(146)

Detail of unauthorized exp. made out from user charges (RLA) fund

no. and date	Cash book page no.	Name of the farm/ person	purpose	Amount
193348/ 20-01-14	37	Paid to Suptt.	To meet air journey expenses of two person for Karnataka	25000.00
265217/14-07-15	83	Paid to M.S. Khachi	honorarium	10000
525218/14-07-15	83	Paid to O.P. Chauhan, Kgo	Refreshment	740
265219/6-08-15	86	Paid to M.S. Khachi	honorarium	10000
265222/2-09-15	89	Paid to M/S Himachal Binding & printing press	On a/c of printing of apple sesion receipt books	2400
265230/12-10-15	94	Paid to M.S. Khachi	honorarium	10000
265234/10-11-15	98	Paid to M.S. Khachi	honorarium	10000
265242/8-12-15	101	Paid to M.S. Khachi	honorarium	10000
265243/16-12-15	102	P.O DRDA ,C/O Facilitation centre , PWD Rest house, taradevi	Not mentioned	150000
265244/16-12-15	104	N.T. Junga	Repair work	5250
265245/1-01-16	105	Mr. Anup,Abhi Ram and Sh suresh Chand	O a/c of payment of sweets, refreshment etc	5340
265249/19-01-16	107	M.S. Khachi	honorarium	10000
265259/10-02-16	110	M.S. Khachi	honorarium	10000
093082&84/17-04-17	165	Supervisors, BLO	PAYMENT OF ELECTION DUTY	13200
093086/24-04-17	166	SELF	Refreshment for m.c election	5000
093091/30-05-17	171	N.T JALOG	Payment on a/c of purchase of furniture	1,00,000
93097/20-06-17	174	N.T JALOG	Not mentioned	24280
93115&93116/23-10-17	193	Payment to Sh. Abhi Ram and The area manager HIMFED	NOT MENTIONED	56295
93117/13-12-17	02	Payment to the area manager HIMFED	NOT MENTIONED	50000
TOTAL				407505

Anil Kumar
Asstt. Controller (Audit)